

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

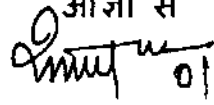
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 352 /2020 दिनांक : 3.02.2020

श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 10.02.2020 से 15.02.2020 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 07.02.2020 (ऐच्छिक अवकाश) एवं 08.02.2020 से 09.02.2020 व 16.02.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 24.02.2020 से 29.02.2020 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 एवं 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री टाक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
 01.2.2020

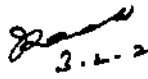
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/80/2000/752

दिनांक : 03.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 142/146 दिनांक 08.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, भरतपुर ।

 3.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार